न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास दिव्या RAS
प्रार्थना पत्र सं. 34/2021
अनुवान गिरधारीराम आदि बनाम उमा आदि
आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 26/08/2025

1. गिरधारीराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

2 मालाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

2/1 गोमती बेवाह मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/2 मूलचन्द पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/3 मोहनसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/4 तिलोकाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/5 सहीराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/6 सावराराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/7 मन्जू पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

2/8 सुनिता पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

3. हनुमानाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

4 हरखाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी फोगा बास जलपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू

– प्रार्थीगण–

<u>बनाम</u>

1. उमा देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी कानड़वास तहसील मदनलाल पुत्र जियाराम सरदारशहर जिला चूरू
2. मदनलाल पुत्र जियाराम जाति जाट निवासी कानड़वास तहसील मदनलाल पुत्र जियाराम सरदारशहर जिला चूरू
3. बीरबलराम पुत्र खीयाराम जाति जाट निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. नर्मदा पत्नी हीराराम जाति ब्राहमण निवासी फोगा बास गुडा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

5. भीखाराम पुत्र हीराराम जाति ब्राहमण निवासी फोगा बास गुडा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति ब्राहमण निवासी फोगा बास गुडा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
7. पूर्णाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जालपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू
8. लालचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फोगा बास जालपान सर्की तहसील सरदारशहर जिला चूरू
9. गुरप्रीत कौर पुत्री हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी करोड़ कोट सिरसा हरियाणा।
10. प्रमिन्द्र सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी करोड़ कोट सिरसा हरियाणा।
11. श्रवण कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी रामपुरा कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
12. कुरड़ाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।

—फौत

12/1 चावली बेवाह कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तह. तारानगर जिला चूरू।
12/2 महावरी पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तह. तारानगर जिला चूरू।
12/3 रामकुमार कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
12/4 भंवरलाल कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
12/5 मुली देवी पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तह. तारानगर जिला चूरू।
12/6 गुडी देवी पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भालेरी तह. तारानगर जिला चूरू।

13. भगवानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
14. रामेश्वरराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
15. सुल्तानाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।

— अप्रार्थीगणं

उपस्थिति —

1. श्री समुन्द्र सिंह शेखावत विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. श्री भागीरथ सिद्ध अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं0 1 व 2
3. श्री भानीराम अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 5 व 6
4. श्री कालीचरण शर्मा अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं0 14 व 15
5. श्री शंकरदास स्वामी अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं0 13
6. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 3 व 7 ता 11, 12/1 ता 12/6
7. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 16

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सरदारशहर में संयुक्त खातेदारी का स्थित है जिसके प्रार्थीगण एकमात्र स्वामी, मालिक, खातेदार है प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई खातेदार नही है, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं० 83 तादादी 37.0400 हैक्टेयर का मौके पर रकबा कम है यानी अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर स्थित नहीं है जो पड़ौसी की भूमि में दबा हुआ है जिसकी सही पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किया जावे एवं उसी अनुसार पत्थर गढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं० 83 के पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 15 है जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकारान वाद बनाया गया है प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रमाणित जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा शामिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि का पड़ोसियों द्वारा सीव को नष्ट व रद्दो बदल कर प्रभावित किया गया है जो

बाद पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर सही तथ्यों की जानकारी होगी यानी वास्तविकता की जानकारी पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने पर होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईस व सीमा चिन्ह कायम करने के लिए भूस्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब को कहा मगर उन्होने आज तक प्रार्थीगण की बात पर कोई ध्यान नही दिया गया तब आखिर में प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण में अपने पड़ौसी खातेदारों को नियमानुसार पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है प्रार्थीगण जेर प्रार्थना पत्र में अंकित अपनी खातेदारी भूमि के खातेदार है जिन्हें अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व सीमा चिन्ह व पत्थर गढ़ी करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड सम्मन, डाक रजिस्ट्री रसीद व डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से श्री भागीरथ सिद्ध ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भानीराम ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 4 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 4 के आगे मृतक अंकित किया। इनके वारिसान पूर्व से ही पत्रावली में बतौर पक्षकार संयोजित है। अप्रार्थी सं. 3 व 7 ता 11 विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 12 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर इनके वारिसान को बतौर प्रतिवादी सं. 12/1 ता 12/6 संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 12/1 ता 12/6 को विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थी सं. 2 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेशा 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार किया जाकर उनके वारिसान को प्रार्थी सं. 2/1 ता 2/8 संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 13 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरदास स्वामी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री कालीचरण शर्मा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 16 को केवल भू धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थी के खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी होने से राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अतः इनका जबाब बन्द कर पत्रावली बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं० 83 तादादी 37.0400 हैक्टेयर रोही फोगां बास भोगान तहसील सरदारशहर का मौके पर रकबा कम है

यानी अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर स्थित नहीं है जो पड़ौसी की भूमि में दबा हुआ है जिसकी सही पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस आपत्ति जाहिर करते प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा प्रार्थीगण की भूमि के साथ–साथ अप्रार्थीगण की भूमि का भी सीमाज्ञान कर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि कृषि भूमि खसरा नं० 83 तादादी 37.0400 हैक्टेयर रोही फोगां बास भोगान तहसील सरदारशहर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं उस खेत की स्वयं प्रार्थीगण खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं० 83 तादादी 37.0400 हैक्टेयर रोही फोगां बास भोगान तहसील सरदारशहर के खेत की चतुर्दिक सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 26/08/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)